न्यायालय अति॰ जिला कलक्टर नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी का नाम — अनिल कुमार (R.A.S)

अपील सं. 163/2021

उनवान

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र तेजमल जाति यादव (अहीर) निवासी मानगढ़ तहसील सीमाधोपुर — अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार अजीतगढ़ — रेस्पो॰

अपील विरुद्ध दिनांक 6-12-2017
न्यायालय नायब तहसीलदार
अजीतगढ़ प्रकरण उनवानी सरकार
बनाम सुरेन्द्र कुमार मु॰न॰ 127/17
धारा 91 राज॰ ले॰ रे॰ एक्ट अपील
अं॰ धारा 75 राज॰ ले॰ रे॰ एक्ट

उपस्थित श्री सत्यनारायण यादव एड॰ — अपीलान्ट

निर्णय — दिनांक 15-7-2024

संक्षेप में अपील अपीलान्ट इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मानगढ़ ने राजनैतिक द्वेषतावश शिकायत योग्य नायब तहसीलदार अजीतगढ़ को इस आशय की प्रस्तुत कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी ख॰न॰ 457 रकबा 0.48 हे॰ बारानी सिवायचक काबिज काश्त भूमि के 0.01 हे॰ भूमि तन [illegible] डाली लगाकर अति-क्रमण कर लिया। [illegible] पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर [illegible] नोटिस जारी किया। विवादित भूमि के रवी [illegible] साइड से पानी [illegible] नाला ख॰न॰ 457 बना हुआ है जो वर्षाति पानी निकासी हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:16 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

अपीलान्ट के खेत व माल पडोस के खेतो का भाग रहा है जो कभी सरकारी भूमि नहीं रहा। सही तथ्य कि जांच किए बिना ही नायब तहसीलदार ने अपनी आज्ञा गैर अपील विरूद्ध कानून पारित कि जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। विवादित डोल उक्त खेत के अपने पूर्वजो के समय से ही लगी हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की न ही अपीलान्ट को जिरह का अवसर दिया ना ही कोई गवाह के बयान लिए। द्वितीय पैमाईश मे ही इसे सरकारी भूमि काबिज काश्त दर्ज किया गया है। जो कतई धारा 91 L.R.Act के प्रावधानो में नहीं आती।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ की आज्ञा दिनांक 6-12-2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि गई एवं जरिए नोटिस रेस्पो० को तलब किया गया। अपील से सम्बंधित मूल रिकार्ड तलब किया गया। मूल रिकार्ड अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त हुआ एवं शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि भूमि ख०न० 457 तन ग्राम मानगढ में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा हमारे खिलाफ अतिक्रमण करने बाबत गलत रिपोर्ट पेश की है। उधर से वर्षात का पानी आता है। अत: अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 6.12.17 निरस्त फरमाया जावें।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड व अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ नीमकाथाना (राजस्थान) ★

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:16 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख० नं० 457 रकबा 0.48 मे से 0.018 में अपीलान्ट द्वारा डोल लगाकर अतिक्रमण करना बताया है। इसी के साथ पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट के पिछे जो नजरी नक्शा बनाया है जिसमे भी डोट-डोट करके अतिक्रमण बताया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय सही जाँचकर पारित किया गया है। पत्रावली व रिकार्ड के अवलोकन से यह तो स्पष्ट साबित होता है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है इस आधार पर अपीलान्ट अतिक्रमण करने की श्रैणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। समस्त तथ्यों व रिकार्ड से यह साबित होता है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि पूर्वक प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना करते हुए एवं अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पूर्व अवसर प्रदान करते हुए सही निर्णय पारित किया गया है। जिसका अवलोकन करने पर कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इन सभी तथ्यो के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज कि जाती है। तथा प्रकरण सं. 127/2017 उनवान सरकार बनाम सुरेन्द्र में पारित निर्णय दिनांक 6-12-2017 यथावत रखा जाना है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वापस अधीनस्थ न्यायालय भेजी जावे। पत्रावली अपील बाद तकमील दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:16 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (राज.)